राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प॰1(24)प्राशि/आयो./2015/ जयपुर, दिनांकः 08/02/2017

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

विषय :– ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये चयन हेतु दिशा निर्देश ।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 में ग्राम पंचायत सहायक के आवदेक की आयु के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

''आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को 21 वर्ष से अन्यून होनी आवश्यक है।''

तद्नुसार संशोधित परिशिष्ठ 'घ' संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः संशोधित परिशिष्ठ –''घ''

8/2/17
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्रा0शि0 –स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
9. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
10. जिला कलक्टर्स – समस्त।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –समस्त।
12. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
13. ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
14. विकास अधिकारी – समस्त।
15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – समस्त।

8/2/2017
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ठ– "घ"

कार्यालय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)
(विद्यालय का नाम मय ग्राम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिले का नाम)

क्रमांकः दिनांकः

सूचना

1. .... जिले की पंचायत समिति .... की ग्राम पंचायत .... के लिए रूपये 6000/– मासिक मानदेय पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर एक वर्ष के लिए .... (संख्या) ग्राम पंचायत सहायक नियोजित किये जाने हेतु चयन किया जाना है। इस हेतु आवेदक की न्यूनतम अर्हतायें निम्नानुसार हैं:–
   (i) आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सैकण्डरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   (ii) आवेदक का जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस जिले का निवासी होना आवश्यक है।
   (iii) आवेदक की आयु दिनांक 1.1.2017 को 21 वर्ष से अन्यून होनी आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक द्वारा रूपये 100/– नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जाकर विद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज संस्था प्रधान अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रातः 9.30 से सांय 3.40 बजे तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जावेगा। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।
3. आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :–
   (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।